प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलपति,
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 28 मार्च, 2018**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 से उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत 500 बेडेड सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक में प्रस्तावित विद्युत सर्विसेज के कार्यो हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध मे। ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 71/2018/1250/71-2-2018-एस-20/2013, दिनांक 28 मार्च, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 500 बेडेड सुपरस्पेशियलिटी ब्लाक के निर्माण हेतु अनुमोदित लागत रू0 46328.29 लाख तथा व्यय वित्त समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में विभाग स्तर पर गठित मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 7398.16 लाख को सम्मिलित करते हुए प्रायोजना की कुल लागत रू0 53726.45 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अब तक निम्नलिखित शासनादेशों के माध्यम से कुल रू0 383.9262 करोड की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी हैः-

शासनादेश संख्या एवं दिनांक	अवमुक्त धनराशि
2839/71-2-14-एस-20/2013 दिनांक 14-8-2014	15.0000
6/3521/71-2-14-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 20 नवम्बर, 2014	3.1500
26/2015/926/71-2-15-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 17 मार्च, 2015	9.9351
33/2015/1090/71-2-15-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 25 मार्च, 2015	2.0864
90/2015/3758/71-2-15-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 02 नवम्बर, 2015	63.2000
91/2015/3983/71-2-15-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 02 नवम्बर, 2015	13.2700
51/2016/1131/71-2-16-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 30 मार्च, 2016	4.4171
52/2016/1131/71-2-16-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 30 मार्च, 2016	0.9276
94/2016/2731/71-2-16-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 11 जुलाई 2016	124.000
95/2016/2814/71-2-16-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 11 जुलाई, 2016	26.000
31/2017/836/71-2-17-एस-20/2013 दिनांक 23 मार्च, 2017	105.1960
32/2017/892/71-2-17-एस-20/2013 दिनांक 23 मार्च, 2017	03.4440
71/2018/1251/71-2-2018-एस-20/2013, दिनांक 28 मार्च, 2018	13.3000
योग-	**383.9262**

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 से 500 बेडेड सुपरस्पेशियलिटी ब्लाक में प्रस्तावित विद्युत सर्विसेज आदि कार्यो हेतु रू0 11,70,00,000/- (रूपया ग्यारह करोड सतर लाख मात्) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के कुलपति/कार्यदायी संस्था की होगी।
2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु जारी की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
3) प्रायोजना हेतु निर्गत उक्त शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4) विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03-8-2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा। प्रायोजना में प्रस्तावित मात्राओं तथा प्राविधानो को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तदायित्व विश्वविद्यालय के कुलपति/कार्यदायी संस्था का होगा।
5) अनुदान संख्या-83 से स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
6) विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है तथा प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/वि0वि0 के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-29-रूरल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च, सैफई इटावा-24-वृहत् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 एवं समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26/ब0प्र0-2015 दिनांक 27 मार्च, 2015 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 72/2018/1251(1)/71-2-18-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3) कोषाधिकारी, इटावा ।
4) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5) वित्त अधिकारी, उ0प्र0आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।
6) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/समाज कल्याण विभाग (बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ)।
7) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
8) प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।